

क्रमांक

फर्द अहकाम

09.2023

उनवान:- पिस्ता बनाम नैनतारा
मु0 न0:- 112/2022

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई।
वकील वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उनवानी प्रकरण में लोक
अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है। पक्षकारान दावा/प्रार्थना पत्र
को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः दावा/प्रार्थना पत्र नोट प्रेस कर
खारिज किया जावे।

अतः वादी/प्रार्थी वकील ने निवेदन पर दावा/प्रार्थना पत्र
में पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली में
अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद
तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुनीता मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

